न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

अपील संख्या — 13/2019

जी.सी.एम.एस नम्बर — 2019/00013

अपीलांटः—	बनाम	रेस्पोंडेंट्सः—
नेकाराम पुत्र मानाराम जाति जणवा चौधरी, निवासी फालना, तहसील बाली, जिला पाली।		1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार, नाना जिला पाली, राजस्थान 2. ग्राम पंचायत फालना गांव, जरिये सरपंच

उपस्थितिः—

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 की ओर से

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 29—05—2019 बअनवान सरकार बनाम नेकाराम प्रकरण संख्या 186/2019 में पारित आदेश को निरस्त करवाने बाबत।

—:आदेशः— दिनांक 22/09/21

1. अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम फालना गांव, तहसील बाली के खसरा नम्बर 288 कुल रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बारानी सोयम जो वर्तमान मे राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज हैं। तहसीलदार बाली द्वारा हल्का पटवारी फालना गांव की रिपोर्ट दिनांक 10.5.2019 के आधार पर अपीलांट द्वार उक्त खसरा नम्बर 288 के कुल रकबा 1.21 हैक्टर मे से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर बाउण्डरी बनाकर अतिक्रमण मानकर अपीलांट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 186/2019 बअनवान सरकार बनाम नेकाराम दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 29.5.2019 को मुकर्रर की गई। अपीलांट को प्रकरण की जानकारी होने पर दिनांक 29.5.2019 को तहसील कार्यालय बाली में हाजिर हुआ जहां अपीलांट को खाली आदेशीका पर हस्ताक्षर करवाये गये और कहा गया की प्रकरण मे आगे की तारीख बाद मे बता देंगे। परन्तु तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 29.5.2019 को उक्त प्रकरण मे अपीलांट से जवाब व साक्ष्य रेकर्ड पर लिये बिना ही एक तरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 29.5.2019 अनुसार अपीलांट को अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल किये जाने के साथ वार्षिक लगान रूपये 1/— का 50 गुणा रूपये 50/— अक्षरे पच्चास रूपये के जुर्माने से आरोपित किया। इस तरह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण 186/2019 मे अपीलांट के विरूद्ध बिना जवाब व साक्ष्य रेकर्ड पर लिये एक तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया। जो कि काबिले खारिज योग्य हैं।

2. अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायायल तहसीलदार बाली के निर्णय से व्यतीत होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। साथ ही निवेदन किया की दिनांक 19.7.2019 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को अपने खरीदशुदा मालिकाना हक भूखण्ड पर बनाई हुई

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

बाउण्डरी को हटाने के लिए कहा तब अपीलांट को उक्त प्रकरण मे हुए आदेश के संबंध में प्रथम बार जानकारी हुई। जिस जानकारी के होते ही अपीलांट ने दिनांक 22.7.2019 को प्रकरण पत्रावली व संबंधित आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकले दिनांक 26.7.2019 को तैयार होकर अपीलांट को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त प्राप्ति के बाद बिना किसी देरी के उक्त अपील तैयार कर प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः सद्भाविक देरी को माफ करने हेतु अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। जो बाद तामिल प्राप्त होने पर सामिल पत्रावली किये गये।

4. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश कर अपने जवाब में निवेदन किया की मौजा ग्राम फालना गांव, तहसील बाली के खसरा नम्बर 288 रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बारानी सोयम जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज हैं। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बाली को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.5.2019 में उक्त खसरा नम्बर 288 के कुल रकबा 1.21 हैक्टर मे से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा बाउण्डरी बनाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना बताया हैं। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस संबंध मे कोई उल्लेख नहीं किया की खसरा नम्बर 288 के किस भाग पर एवं कौनसी दिशा में कितनी लम्बाई चौडाई में अपीलार्थी का कब्जा हैं तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा इसके संदर्भ में कोई नक्शा मौका बनाया गया हैं। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कागजी मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार बाली को पेश की गई, जो विधि विरूद्ध हैं। इस तरह ऐसी विधि विरूद्ध कागजी रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया हैं वह खारिज करने योग्य हैं।

5. अपीलांट के विद्धान अभीभाषक द्वारा द्वितिय दलिल पेश कर निवेदन किया की पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का ग्राम फालना गांव के खसरा नम्बर 288 मे रकबा 0.01 हैक्टर पर जो अवैध कब्जा बताया हैं वह विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि सही व वास्तविक रूप से अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 288 मे नहीं हो कर 288/1 में हैं।

6. अपीलांट के विद्धान अभीभाषक द्वारा तृतिय दलिल पेश कर निवेदन किया की पंचायत समिति बाली की वित्त स्थायी एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 17.9.2009 के द्वारा पारित निर्णय अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 154 (3)(क) के तहत् ग्राम पंचायत फालना गांव द्वारा खसरा नम्बर 288/1 रकबा 1.32 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि मे से लाभार्थीयों को निलामी पर माफिक प्लान भूखण्डों का विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली के आदेश क्रमांक/पं.स.बा./ पंचायत/2009–10/1217 दिनांक 23.9.2009 के तहत् निलाम किये गये थे। उक्त आदेश के रहते अपीलांट ने दुकान संख्या 22 देय राशि 25400/– रूपये व दुकान संख्या 23 देय राशि 25400/– रूपये तथा प्लॉट संख्या 86 देय राशि 32150/– कुल राशि 85950 /– अक्षरे पिच्यासी हजार नो सौ पच्चास रूपये जरिये रसीद संख्या 514 दिनांक 10.8.2009 को अदा कर खरीद किये थे। तत्पश्चात ग्राम पंचायत फालना गांव द्वारा दिनांक 05.10.2009 को अपीलांट के नाम उक्त दुकान संख्या 22 व 23 तथा प्लॉट संख्या 86 के पट्टे जारी किये गये। जिसके बाद अपीलांट ने अपने पट्टासुदा भूखण्ड संख्या 86 पर बाउण्डरी बनवाई। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध उक्त साक्ष्यों के विरूद्ध जाकर अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार बाली के समक्ष पेश की। जिसके अनुसार तहसीलदार बाली ने विधि विरूद्ध एवं साक्ष्यों व

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

जवाब के अभाव में अपीलांट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया हैं वह खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

7. अपीलांट के विद्वान अभीभाषक द्वारा चौथी दलिल पेश कर निवेदन किया की आज भी वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2072–2075 के अनुसार मौजा ग्राम फालना गांव के खसरा नम्बर 288/01 रकबा 1.32 हैक्टर भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत फालना गांव, के खाते मे दर्ज हैं। जिसके साक्ष्य मे जमाबन्दी संलग्न हैं। इस हेतु ग्राम पंचायत फालना गांव को बीना नोटिस दिये ही आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं।

8. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमादित्यसिंह ने वकालतनामा पेश कर जवाब एवं बहस हेतु समय चाहा जो न्यायहित में कई बार समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा न तो किसी प्रकार का जवाब पेश किया और न ही बहस की गई। जिससे प्रतित होता हैं कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण को निस्तारित कराने में कोई रूचि नहीं हैं।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकिय अभिभाषक ने सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

10. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व विद्वान राजकिय अभिभाषक की बहस सूनी गई।

11. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि मौजा ग्राम फालना गांव, तहसील बाली के खसरा नम्बर 288 कुल रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बारानी सोयम जो वर्तमान मे राजस्थान सरकार के खाते मे दर्ज हैं। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बाली को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.5.2019 में उक्त खसरा नम्बर 288 के कुल रकबा 1.21 हैक्टर मे से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा बाउण्डरी बनाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना बताया हैं। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस संबंध मे कोई उल्लेख नहीं किया की खसरा नम्बर 288 के किस भाग पर एवं कौनसी दिशा में कितनी लम्बाई चौडाई में अपीलार्थी का कब्जा हैं तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा इसके संदर्भ में कोई नक्शा मौका बनाया गया हैं। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कागजी मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार बाली को पेश की गई, जो विधि विरूद्ध हैं।

12. तत्पश्चात विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा पटवारी हल्का फालना गांव की रिपोर्ट दिनांक 10.5.2019 के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 186/2019 बअनवान सरकार बनाम नेकाराम दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 29.5.2019 को मुकर्रर की गई। अपीलांट को प्रकरण की जानकारी होने पर दिनांक 29.5.2019 को तहसील कार्यालय बाली में हाजिर हुआ जहां अपीलांट को खाली आदेशीका पर हस्ताक्षर करवाये गये और कहा गया की प्रकरण मे आगे की तारीख बाद मे बता देंगे। परन्तु तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 29.5.2019 को उक्त प्रकरण मे अपीलांट से जवाब व साक्ष्य रेकर्ड पर लिये बिना ही एक तरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 29.5.2019 अनुसार अपीलांट को अतिक्रमी मानकर उक्त आराजी से बेदखल किये जाने के साथ वार्षिक लगान रूपये 1/– का 50 गुणा रूपये 50/– अक्षरे पच्चास रूपये के जुर्माने से आरोपित किया। इस तरह अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण 186/2019 मे अपीलांट के विरूद्ध बिना जवाब व साक्ष्य रेकर्ड पर लिये एक

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

तरफा कार्यवाही करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया। जो कि काबिले खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

13. अपीलांट के विद्वान अभीभाषक ने निवेदन किया की पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट का ग्राम फालना गांव के खसरा नम्बर 288 मे रकबा 0.01 हैक्टर पर जो अवैध कब्जा बताया हैं वह विधि विरूद्ध हैं, क्योंकि सही व वास्तविक रूप से अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 288 मे नहीं हो कर 288/1 में हैं। किन्तु विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने इस कथन को साबित करने हेतु किसी प्रकार का दस्तावेज, साक्ष्य व सबुत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये।

14. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकिय अभिभाषक ने बहस द्वौरान निवेदन किया कि विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथनों को साबित करने हेतु किसी प्रकार के साक्ष्य, सबुत व दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं कराये अर्थात उनके द्वारा बताये गये सम्पूर्ण कथन आधारहीन हैं। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम फालना गांव के खसरा नंबर 288 के कुल रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बारानी सौयम मे से रकबा 0.01 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको हटाया जाना जरूरी है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली का आदेश दिनांक 29.5.2019 को पारित किया गया है जो कि विधि संगत है। क्योंकि सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विभिन्न प्रावधान दिये गये है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसी आदेश को यथावत रखा जावें। जिससे भविष्य में अपीलाण्ट दोबारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा नही कर सकें। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

15. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये साक्ष्य, सबुतो व राजस्व रेकर्ड का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपनी दलिलों के संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य, सबुत तथा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जिससे यह सिद्ध होता हैं कि उनके द्वारा बताये गये कथन आधानहीन हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा मौजा ग्राम फालना गांव के खसरा नम्बर 288 कुल रकबा 1.21 हैक्टर किस्म बारानी सौयम भूमि मे से 0.1 हैक्टर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण सिद्ध होने पर अपने आदेश दिनांक 29.5.2010 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से बेदखल करने व वार्षिक लगान 1/– रूपये का 50 गुणा यानी राशि 50 रूपये जुर्माना आरोपित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.5.2019 पर अपीलांट के हस्ताक्षर से यह सिद्ध होता हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा अपीलांट को उक्त प्रकरण की पूरी जानकारी थी।

16. तहसीलदार भूमिधारक होने के नाते उनका यह कर्तव्य है कि सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त रखे। इस हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विभिन्न प्रावधान दिये गये है। अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाली का निर्णय दिनांक 29.5.2019 को यथावत रखा जाता है तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 186/2019 में तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.5.2019 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने निर्णय की पालना अविलम्ब करना सुनिश्चित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 22/09/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/8/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अभार्थी द्वारा जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहा गया जो अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 01-9-2021 को पेश हो। अति जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)	
01-9-21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 15-9-2021 को पेश हो। अति जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)	
15-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ दिनांक 22-9-21 को पेश हो। अति जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)	
22-9-21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मूल अपील प.सं. 13/2019 के साथ प्रस्तुत किया गया था। मूल अपील प.सं. 13/2019 को खारिज किया जाकर निस्तारित करने से उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल अपील प.सं. 13/2019 के साथ नत्थी की जाकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अति जिला कलक्टर (सीलिंग) पाली (राज.)	